



Neutral Citation No. - 2026:AHC:28844

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 19725/2025

बलवीर सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : घनश्याम दास मिश्रा, विंध्याचल सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री घनश्याम दास मिश्रा और प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें अनुभाग मिश्री के पद पर नियुक्त किया गया था। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 511 तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद, याचिकाकर्ता पर सत्र परीक्षण संख्या 55/2017 (राज्य बनाम बलवीर सिंह) में मुकदमा चलाया गया और 17.10.2019 के फैसले द्वारा उन्हें दोषी ठहराया गया। उक्त दोषसिद्धि के फैसले के खिलाफ, याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील संख्या 6967/2019 दायर की, जिसमें उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया और अपील लंबित रहने तक सजा निलंबित कर दी गई है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि यद्यपि याचिकाकर्ता दोषी ठहराया गया है, दोषसिद्धि और सजा के फैसले को चुनौती दी गई है और केवल सजा को निलंबित किया गया है। यह तर्क दिया गया है कि उपरोक्त तथ्य के बावजूद, प्रतिवादियों ने संबंधित अवधि के लिए, विशेष रूप से सेवानिवृत्ति की अवधि के दौरान, पूर्ण वेतन और कुछ सेवानिवृत्ति/वित्तीय लाभों से वंचित रखा है। दिनांक 12.7.2024 के आदेश को वर्तमान याचिका में चुनौती दी गई है।
4. इसके विपरीत, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने विवादित आदेश का समर्थन किया है और प्रस्तुत किया है कि वेतन और लाभों से वंचित करना लागू नियमों के अनुसार है और केवल सजा को निलंबित करने से दोषसिद्धि समाप्त नहीं हो जाती।
5. बार में दिए गए इन निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति सहित एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रति प्रतिवादी संख्या 3/कार्यकारी अभियंता नलकोप प्रभाग औरैया के समक्ष

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्रस्तुत करे, जो उक्त अभ्यावेदन पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

10 फरवरी, 2026

सुषमा

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"